

बैंक जमा राश बीमा कार्यक्रम

प्रलिस के लयः

जमा राश बीमा, DICGC

मेन्स के लयः

जमा बीमा और ऋण गारंटी नगम (DICGC) की आवश्यकता और जमा बीमा का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने "जमाकर्त्ता प्रथमः 5 लाख रुपए तक गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान" पर नई दल्लि में आयोजति एक समारोह को संबोधति करते हुए कहा कि 1 लाख से अधिक जमाकर्त्ताओं (जो बैंकों में के समक्ष उत्पन्न वत्तीय संकट के कारण अपने धन का उपयोग नहीं कर सके) को 1,300 करोड रुपए का भुगतान कया गया था।

- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) अधनियम के तहत 76 लाख करोड रुपए की जमा राश का बीमा कया गया था, जो लगभग 98% बैंक खातों को पूरण कवरेज प्रदान करता है।
- इससे पहले केंद्रीय मंत्रमंडल ने [जमा बीमा और ऋण गारंटी नगम \(DICGC\) वधियक, 2021](#) को मंजूरी दी थी।

जमा बीमा: यदकि कोई बैंक वत्तीय रूप से वफल हो जाता है और उसके पास जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के लयि पैसे नहीं होते हैं तथा उसे परसिमापन के लयि जाना पडता है, तो यह बीमा बैंक जमा को होने वाले नुकसान के खलाफ एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है।

क्रेडिट गारंटी: यह वह गारंटी है जो प्रायः लेनदार को उस स्थति में एक वशिष्ट उपाय प्रदान करती है जब उसका देनदार अपना कर्ज वापस नहीं करता है।

प्रमुख बडि

■ जमा बीमा हेतु सीमा:

- वर्तमान में एक जमाकर्त्ता के पास बीमा कवर के रूप में प्रत्खिता अधिकतम 5 लाख रुपए का दावा है। इस राश को 'जमा बीमा' कहा जाता है।
 - जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नगम (DICGC) द्वारा प्रत्जमाकर्त्ता को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान कया जाता है।
- जनि जमाकर्त्ताओं के खाते में 5 लाख रुपए से अधिक हैं, उनके पास बैंक के दवालया होने की स्थति में धन की वसूली के लयि कोई कानूनी सहारा नहीं है।
- बीमा के लयि प्रीमियम प्रत्येक 100 रुपए जमा हेतु 10 पैसे से बढाकर 12 पैसे कर दया गया है और यह सीमा 15 पैसे तक बढाई गई है।
 - इस बीमा के प्रीमियम का भुगतान बैंकों द्वारा DICGC को कया जाता है और जमाकर्त्ताओं को नहीं दया जाता है।
 - बीमति बैंक पछिले छमाही के अंत में अपनी जमा राश के आधार पर, प्रत्येक वत्तीय छमाही की शुरुआत से दो महीने के भीतर अर्ध-वार्षकि रूप से नगम को अग्रमि बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

■ कवरेज:

- कषेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय कषेत्र के बैंकों, भारत में शाखाओं वाले वदिशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहति बैंकों को DICGC के साथ जमा बीमा कवर लेना अनवारय है।

■ कवर की गई जमा राशियों के प्रकार:

- DICGC नमिनलखति प्रकार की जमाराशियों को छोडकर सभी बैंक जमाओं, जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदिका बीमा करता है:

- वदिशी सरकारों की जमाराशयिँ ।
- केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशयिँ ।
- अंतर-बैंक जमा ।
- राज्य भूमविकस बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों में जमाराशयिँ ।
- भारत के बाहर प्राप्त कोई भी जमा राशि ।
- कोई भी राशि जिसे आरबीआई की पछिली मंजूरी के साथ नगिम द्वारा वशिष रूप से छूट दी गई है ।

■ **जमा बीमा की आवश्यकता:**

- **पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक**, **यस बैंक** और **लक्ष्मी वलिस बैंक** जैसे हाल के मामलों में जमाकर्त्ताओं को बैंकों में अपने फंड तक तत्काल पहुँच प्राप्त करने में परेशानी के चलते जमा बीमा के वषिय पर ध्यान आकर्षति कया था ।

DICGC

■ **DICGC के बारे में:**

- यह वर्ष 1978 में संसद द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 के पारति होने के बाद जमा बीमा नगिम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के वलिय के बाद अस्तित्व में आया ।
- यह भारत में बैंकों के लयि जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है ।
- यह **भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा संचालति और पूरण स्वामतिव वाली सहायक कंपनी है ।**

■ **फंड:**

- नगिम नमिनलखति नधियों का रख-रखाव करता है:
 - जमा बीमा कोष
 - क्रेडिट गारंटी फंड
 - सामान्य नधि
- पहले दो को क्रमशः बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वतितपोषति कया जाता है तथा संबंधति दावों के नपिटान के लयि उपयोग कया जाता है ।
- सामान्य नधिका उपयोग नगिम की स्थापना और प्रशासनकि खर्चों को पूरा करने के लयि कया जाता है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस